



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 939]
No. 939]नई दिल्ली, मंगवार, जुलाई 30, 2007/श्रावण 8, 1929
NEW DELHI, MONDAY, JULY 30, 2007/SHRAVANA 8, 1929

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2007

का.आ. 1291(अ).—केन्द्रीय सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 609 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संघ राज्य क्षेत्र अंदमान और निकोबार द्वीप में 20 अगस्त, 2007 से उक्त अधिनियम के अधीन कम्पनियों के रजिस्ट्रेकरण के लिए रजिस्ट्रार के रूप में कम्पनी रजिस्ट्रार, तमिलनाडु को नियुक्त करती है।

[फा. सं. 1/9/2006—सीएल V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2007

S.O. 1291(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (2) of Section 609 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby appoints the Registrar of Companies, Tamil Nadu as the Registrar for registration of companies under the said Act in the Union Territory of Andaman and Nicobar Islands with effect from 20th August, 2007.

[F. No. 1/9/2006-CL V]

JITESH KHOSLA, Lt Secy.